छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

एम०ए०(सी) संख्या 369/2013
संस्थित दिनांक–19.11.2019
निराकृत दिनांक– 29.11.2011

01. चुम्मन लाल साहू, पिता– नंद कुमार साहू, उम्र–लगभग 22 वर्ष, निवासी परोदा, पोस्ट ऑफिस– करेली, थाना–धमधा, जिला–दुर्ग, छ०ग०
02. राम लाल साहू, निवासी–परोदा, पोस्ट ऑफिस– करेली, थाना–धमध, जिला–दुर्ग छ०ग०

----------अपीलकर्ता

विरुद्ध

01. गोपाल जी सिंह, पिता–मंजूर सिंह, उम्र–लगभग 60 वर्ष, निवासी–वार्ड क्रमांक 55, ओम किराना स्टोर के पास, हरिनगर, दुर्ग, कातुलबोड, जिला–दुर्ग, छ०ग०
02 श्रीमती कमला देवी, पति–गोपाल जी सिंह उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी–वार्ड क्रमांक 55, ओम किराना स्टोर के पास, हरिनगर, दुर्ग, कातुलबोड, जिला–दुर्ग, छ०ग०
03. श्रीमती भग्यवती, पति अमरेश सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी–वार्ड क्रमांक 55, ओम किराना स्टोर के पास, हरिनगर, दुर्ग, कातुलबोड, जिला–दुर्ग, छ०ग०
04. कुमारी मेघना, पिता–स्व० अमरेश सिंह, उम्र लगभग 11 वर्ष, नाबलिग के माध्यम से माता श्रीमती भग्यवती, निवासी–वार्ड क्रमांक 55, ओम किराना स्टोर के पास, हरिनगर, दुर्ग, कातुलबोड, जिला–दुर्ग, छ०ग०
05. भानुप्रताप सिंह, पिता–स्व० अमरेश सिंह, उम्र लगभग 11 वर्ष, नाबलिग के माध्यम से माता श्रीमती भग्यवती, निवासी–वार्ड क्रमांक 55, ओम किराना स्टोर के पास, हरिनगर, दुर्ग, कातुलबोड, जिला–दुर्ग, छ०ग०
06. द ओरिएंटल इन्सोरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा डिविजनल मैनेजर, परमानंद भवन, जीई रोड, पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने, दुर्ग, जिला–दुर्ग छ०ग०

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

----------प्रत्यर्थी

अपीलकर्ता की ओर से श्री विवेक शर्मा अधिवक्ता।
अनावेदक क्र० 01 से 05 तामिल पश्चात अनुपस्थित।
अनावेदक क्र० 06 श्री राज अवस्थी अधिवक्ता।

<u>एकल पीठः– माननीय श्री संजय एस० अग्रवाल जी</u>
<u>सी०ए०बी० अधिनिर्णय</u>

01. यह अपील प्रश्नगत वाहन के स्वामी एवं चालाक के द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 173 (जिसे संक्षेप में आगे 1988 का अधिनियम कहा गया है।) के अंतर्गत दिनांक 07–01–2013 को पारित अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा

अधिकरण के प्रकरण क्रमांक 112/2011 के द्वारा दावे को स्वीकार कर कुल राशि 27,30,000/– रुपये 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अधिनिर्णय पारित किये जाने के दिनांक तक के लिए बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त करते हुए पारित किये गये अधिनिर्णय के विरुद्ध संस्थित किया गया है। प्रस्तुत अपील में न्यायालय द्वारा पक्षकारों को उनके विवरण के अनुसार संदर्भित किया गया है।

02. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04–01–2013 को मृतक अमरेश सिंह अपनी मोटर सायकल क्रमांक 07 जेड आर 8407 में दुर्ग से गंडई जा रहा था जिसे प्रश्नगत वाहन टाटा 207 ने जोरदार टक्कर माद दी जिसका क्रमांक सी जाी 04 जेड आर 8588 है, जिसका स्वामी आवेदक क्रमांक 02 रामलाल साहू था जिसका बीमा आवेदक क्रमांक 03 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था। प्रश्नगत वाहन को घटना के समय उसके चालक अनावेदक क्रमांक 01 चन्नुलाल साहू द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूरवक चलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप यह घटना घटित हुआ जिसमें आहत को गंभीर उपहति कारित हुई जिसके उपचार के लिए उसे तत्कार अस्पताल में दाखिल किया गया किन्तु उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिसके पश्चात मुतक के विधिक वारिसानो के द्वारा 1988 के अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत 42,90,000/– रूपये की क्षतिपूत्ीर मृतक की उम्र 35 वर्ष एवं उसके 8 वीं बटालियन गंडई में 20,000/– रूपये मासिक आय को आधार मानते हुए मांग की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. प्रस्तुत दावे का प्रश्नगत वाहन के स्वामी और चालक के द्वारा यह कहते हुए विरोध किया गया कि कथित वाहन दुर्धटना मे शामिल नही था और मृतक स्वयं कथित दुर्धटना के लिए जिम्मेदार था, जबकि अनावेदक क्रमांक 03 वाहन के बिमाकर्ता के द्वारा दावे का अन्य बातों के साथ यह कहते हुए भी खण्डन किया गया कि प्रश्नगत

वाहन के चालक के पास वाहन चलाने के लिए हल्के वाहन का प्रशिक्षु लायसेंस था जिससे आरोपी वाहन चालक वाहन को चलाने अधिकृत नही था क्योकि प्रश्नगत वाहन "हल्का माल वाहन'' एक परिवहन वाहन था।

04. अधिकरण द्वारा उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो पर विचार करने पश्चात निष्कर्ष दिया गया कि कथित दिनांक 04–01–2011 की दुर्घटना प्रश्नगत वाहन के चाहक के तेजी एवं लापरवाही पूर्वक अपने वाहन को चलाने के कारण घटित हुई थी जिससे मृतक अमरेश सिंह की मृत्यु हुई। अधिकरण द्वारा 1988 के अधिनियम की धारा 07 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को जो हल्के वाहन का लर्निंग लायसेंस धारण करता है माल वाहक वाहन को चलाने सक्षम व्यक्ति न मानते हुए अधिकरण द्वारा बिमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त करते हुए आरोपी वाहन चालक एवं उसके स्वमी को क्षतिपूर्ति राशि 27,30,000 रूपये 6 प्रतिमाह की दर से दावा प्रस्तुति दिनांक से देय करने का आदेश पारित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

05. अधिकरण के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर प्रश्नगत वाहन के स्वामि एवं चालक के द्वारा अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा के माध्यम से यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि अधिकरण द्वारा बिमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त कर अवैधानिक कार्य किया है, उनके अनुसार आरोपी वाहन चालक जिसके पास "हल्का वाहन चालन" का लायसेंस था वह वाहन चलाने अधिकृत था। बिमा पालिसी प्रदर्श डी 01 के अंतर्गत तर्क दिया गया कि क्योकि प्रश्नगत वाहन सुसंगत समय पर खाली था इसलिए आरोपी वाहन चालक के द्वारा पालिसी में उल्लेखित नियम 03 केंद्रिय मोटर यान नियम 1989 के प्रावधानो का पालन किया गया था जिससे यह नही कहा जा सकता कि चालक वाहन चलाने अधिकृत नही था। अपने समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के

न्यायदृष्टांत केंद्रिय बिमा कंपनी लि0 विरूद्व स्वर्ण सिंह व अन्य 2004 3 एस सी सी 297 प्रस्तुत किया।

06. अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री राज अवस्थि द्वारा तर्क दिया गया कि दावा अधिकरण द्वारा 1987 के अधिनियम की धारा 07 का उचित अर्थान्वयन करते हुए व्यक्त किया है कि दुर्घटना कारित वाहन के चालक के पास हल्के वाहन को चलाने का लर्निंग लायसेंस था जिससे वह माल वाहक को चलाने अधिकृत नही था इसलिए दावा अधिकरण द्वारा उचित रूप से बिमा कंपनी को दायित्व से उन्मुक्त किया गया है।

08. यह सच है कि आरोपी वाहन चालक के पास लायसेंस था और वह हल्का मोटर यान चलाने अधिकृत था जिसका प्रमाण ड्रयविंग लासेंस से मिलता है। प्रश्नगत वाहन एक हल्का माल वाहक था जिसे सुसंगत समय पर चुम्मनलाल साहू अपने प्रशिक्षक अनिल कुमार के निर्देशानुसार वाहन के आगे और पीछे लाल रंग से "L" उल्लेखित कर चला रहा था। चन्नुलाल ने यह भी साक्ष्य दिया कि प्रश्नगत समय पर जब उसके द्वारा वाहन चलाया जा रहा था तब वह खाली था और उसमें कोई सामान नही था। उसके साक्ष्य की संपुष्टि निर्देशक अनिल कुमार के साक्ष्य से भी होति है जिसके पास प्रभावी लायसेंस प्रदर्श् डी 01 सी था, बीमाकर्ता द्वारा ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य यह स्थापित करने कि लिए प्रस्तुत नही किया गया कि सुसंगत समय पर प्रश्नगत वाहन को माल के परिवहन के लिए किया जा रहा था या उसके चालक ने उसे अपने प्रशिक्षक के बिना चलाया था। इस समय बिमा पालिसी प्रदर्श डी 01 के निर्धारित नियम एवं शर्तो की जांच करनी आवश्यक है जिसे बिमाकर्ता द्वारा ए से ए भाग के रूप में चिन्हांकित किया गया है, बिमाकर्ता के गवाह जी राजा शिव कुमार एन 0 ए 0 डब्लू 01 के अनुसार:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

" बीमित व्यक्ति सहित कोई भी व्यक्ति, बशर्ते कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास दुर्घटना के समय प्रभावी लायसेंस हो और वह ऐसा लायसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य न हो "

" परंतु यह कि, प्रभावी प्रशिक्षु लायसेंस रखने वाला व्यक्ति उस वाहन को तब भी चला सकता है जब दुर्घटना के समय उसका उपयोग माल के परिवहन के लिए नही किया जा रहा हो और ऐसा व्यक्ति केंद्रिय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 03 की अपेक्षओं की पूर्ति करता हो। "

09. उपरोक्त दूसरे परंतुक के अंतर्गत, यह स्पष्ट है कि प्रशिक्षु लर्निंग लायसेंस रखने वाला व्यक्ति दो शर्तो में वाहन का परिचालन कर सकता है, जब सुसंगत समय पर वाहन में माल का परिवहन ना किया जा रहा हो और दूसरा जब वह 1989 के अधिनियम के नियम 03 की विहित शर्तों की पूर्ति करता हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. प्रश्नगत प्रकरण में, क्या चालक चुम्मनलाल और निर्देशक अनिल कुमार के साक्ष्य से यह प्रमाणित होता कि सुसंगत समय पर जब प्रश्नगत वाहन घटना में क्षतिग्रस्त हआ तब वह खाली था और क्या उनके द्वारा 1989 के अधिनियम के नियम 03 के प्रावधानो का पालन किया गया था। हस्तगत प्रकरण में यह नही कहा जा सकता कि दुर्घटना कारित वाहन के चालक जिसने प्रभावी प्रशिक्षु लायसेंस धारण किया हआ था वह उसे चलाने अधिकृत नही था। दावा अधिकरण के द्वारा हालांकि इस विशेष पहलू पर बिमा कंपनि को उसके दायित्व से मुक्त करते समय विचान नही किया गया। दावा अधिकरण द्वारा बिमा कंपनी के इस तर्क को स्वीकार किया गया कि दुर्घटना कारित वाहन का चालक उसे चलाने अधिकृत नही था, जो स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

जिससे उसे खण्डित किया जाता है और यह प्रतिपादित किया जाता है कि प्रश्नगत वाहन के द्वारा बिमा पालिसी प्रदर्श डी 01 का उल्लंघन नही किया गया है।

11. **राष्ट्रिय बिमा कंपनी लिमिटेड विरूद्व स्वर्ण सिंह व अन्य** के मामले मे, जहां प्रश्न यह था कि क्या बिमा कंपनी को उसके दायित्व से इस आधार पर उन्मुक्त किया जा सकता है कि दुर्घटना के समय वाहन को अन्य व्यक्ति जिसके पास प्रशिक्षु लायसेंस है उसके द्वारा चलाया जा रहा था जिसका उत्तर दिया गया कि बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त नही किया जा सकता जिसके लिए पुन: पैरा 110 (Viii) प्रस्तुत किया गया जो यह उपबंधित करती है कि :

" (Vii) यह प्रश्न की क्या स्वामि ने यह पता लगाने के लिए उचित सावधानी बरती है कि चालक द्वारा प्रस्तुत ड्रायविंग लायसेंस (नकली या अन्यथा) विधि की आवश्यकतओं की पूर्ति करता है या नही यह प्रत्येक मामले मे निर्धारित करना होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपरोक्त निर्णय में निर्धारित सिद्वांत को इस प्रकरण में लागू करते हुए, बीमा पालिसी प्रदर्श डी 01 के नियम एवं शर्तो को लागू करते हुए दावा अधिकरण द्वारा किये गए बिमा कंपनी के दायित्व से उन्मुक्ति के आदेश को विधी की दृष्टि में स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है और बीमा कंपनी को बीमाधारक का क्षतिपूर्त करने का दायित्व होगा।

13. उपरोक्त आधार पर अपील स्वीकार किया जाता है। खर्चो के संबंध में कोई आदश नही दिया जाता।

SD/-
(श्री संजय एस० अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur